न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 41 / 2018

1 श्रवण कुमार पुत्र सूरजा जाति मेघवंशी निवासी दिसनाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राकेश कुमार पुत्र लेखूराम जाति मेघवंशी निवासी दिसनाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 बज्जू देवी पत्नी श्रवण कुमार आयु 43 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी दिसनाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय आदेश अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट दिनांक 14.03.2018 मुकदमा नम्बर 3/2017 बउनवानी राकेश कुमार बनाम श्रवण कुमार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांकः— 22.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 3/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अदालत मातहत में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट इन कथनो के साथ पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 306/2 रकबा 2.30 हैक्टेयर में 0.78 हैक्टेयर वाके दिसनाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ का हिस्सेदार है, लेकिन खाता विभाजन नही हुआ है और जिस खेत मे जाने का रास्ता खसरा नम्बर 306/1 के उत्तर में निर्विवाद आवाजाही प्रचलित मौके के रास्ते से खसरा नम्बर 306/1 में से होता हुआ खसरा नम्बर 306/2 में से पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन की सुविधा हेतु दिलाने की कृपा करें। विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी की और से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का मूल आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सूचित किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्व है। सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 306/1 में से रास्ता चाहा गया इसका खातेदार अकेला अपीलांट है जिसे पक्षकार बनाया गया है। 306/2 के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आदेशिका दिनांक 17.01.2018 को आवश्यक रूप से जवाब हेतु लिखा गया था। हिदायत के पश्चात चार तारीख पेशी दी गई। अपीलांट ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। अन्य सहखातेदारों को पक्षकार भी नही बनाया गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अपीलांट की गैर मौजुदगी में तैयार की गई है। अपीलांट को इस बाबत सुचित भी नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर